ऑन लाईन नं. RCMS 2022/134

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : रीना, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 18/2022

1. नक्षत्र सिंह पुत्र जौरा सिंह जाति जटसिख निवासी सागरवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. उप तहसीलदार चूनावढ।
2. ग्राम पंचायत जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जोधेवाला।
3. सुखमन्दर सिंह पुत्र शमशेर सिह जाति जटसिख सा0 सागरवाला।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व इंतकाल संख्या 5/12.05.2022 जो कि नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा गलत व यकतरफा तौर पर बिना कानूनी प्रकिया अपनाये दिनांक 14.05.2022 को स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया बमुराद मनसूखियां।

उपस्थित :

1.श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी

2.श्री सुरेश अरोड़ा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3

:: आदेश :: **दिनांक :–30.10.2024**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट चक 16 जी छोटी पटवार हल्का जोधेवाला तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 34/31 मुरब्बा नम्बर 5 की 3.100 हैक्टर मे 2/5 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हकदार है तथा उसके कब्जा काश्त की भूमि चक 29 जी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 20/1 की 0.127 हैक्टर के साथ लगती हुई है, कालांतर में इस गांव में शमशान घाट 4 बीघा में बना हुआ है, कालांतर में इस गांव में शमाशन घाट 4 बीघा में बना हुआ है कुछ समय पूर्व किसी मोहनलाल मदान द्वारा ग्राम पंचायत को चक 29 जी. जी. के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 20/1 का 0.127 हेक्टर दान में दिया था, अब ग्राम पंचायत द्वारा इस भूमि में शमशान घाट बनाने की कार्यवाही शुरू करने पर अपीलांट व अन्य गांववासियों को पता चलने पर उनके द्वारा आपत्ति की गई जिस पर शमशान घाट बनाने को रोक दिया गया मगर अब मौके पर शमशान घाट बनाये जाने का पुनः प्रयास करने पर अपीलांट ने पटवारी हल्का से दिनांक 17.05.2022 को सम्पर्क किया तो पता चला कि इस सम्बन्ध में इंतकाल जेर अपील स्वीकृत किया जा चुका है जिस पर उसी रोज नकल हासिल की गई, ग्रामवासियों को पता चलने पर उनके द्वारा सरपंच को रोकने का भी प्रयास किया गया मगर अब कानूनी राय मिलने पर यह अपील निम्नलिखित आधारों पर पेश की जा रही है।

1. यह कि इंतकाल जेर अपील जिसकी प्रमाणित प्रति शामिल है गलत खिलाफ कानून खिलाफ वाक्यात होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

यह कि अपीलांट का रकबा प्रस्तावित शमशान घाट की भूमि के साथ चिपता हुआ 16 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 5 का रकबा स्थित है, इस प्रकार अपीलांट हर प्रकार से इस मामला में प्रभावित पक्षकार है मगर इंतकाल करने से पूर्व ना तो अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया ना ही बुलाया व सुना गया, इस प्रकार न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की पालना नहीं हुई जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वांत प्रतिपादित किये है कि बिना प्रभावित को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश प्रथम दृष्टया निरस्तनीय होगा।

3. यह कि शमशान घाट के लिए पहले से ही 4 बीघा भूमि में शमशान घाट बना हुआ है तथा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रस्तावित भूमि पर शमशान घाट नहीं बनाने का ऐतराज किया गया था क्योंकि गांववासी भी प्रस्तावित स्थान पर शमशान घाट बनाने के लिए कतई सहमत नहीं है क्योंकि प्रस्तावित शमशान घाट के साथ हरीजनों का मोहल्ला पड़ता है इसलिए गरीब हरीजनों ने भी ऐतराज किया।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल करने से पूर्व ना तो कोई विधिक प्रकिया अपनायी अर्थात कोई आपत्ति सूचना जारी की गई ना ही आपत्ति के सम्बन्ध में कोई ढोल मुनियादी द्वारा प्रचार किया गया ना ही किसी दैनिक समाचार पत्र में कभी कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित हुई तथा ना ही इंतकाल नियमों की पालना की गई ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई जबकि ऐसा कूननन आवश्यक था।
5. यह कि इंतकाल जेर अपील का अवलोकन किया जावें तो स्पष्ट है कि दिनांक 14.05.2022 को पटवारी हल्का ने इंतकाल दर्ज कर पेश किया तथा आईएलआर द्वारा उसी रोज ही मिलान करने का दर्ज किया है तथा दिनांक 14.05.2022 को ही इंतकाल जेर अपील तस्दीक कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि समस्त कार्यवाही एक ही दिन में की गई है। अतः यह भी स्पष्ट है कि कोई विधिक प्रकिया नहीं अपनायी गई।
6. यह कि जब पहले से ही शमशान घाट 4 बीघा में बना हुआ है तो किसी नये शमशान के बनाने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हो सकती ना ही ग्रामवासियान किसी प्रकार से प्रस्तावित भूमि में शमशान घाट बनाने के लिए सहमत है बल्कि सभी ने विरोध स्वरूप आवेदन भी किया है जिसकी नकल शामिल है। यदि अपीलांट को कोई नोटिस दिया जाता तो वह भी पेश होकर अधीनस्थ न्यायालय में आपत्ति पेश करता। अतः मौजूदा अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है, जो रकबा दान में दिया गया उस स्थान पर गरीब हरीजनों को भूखण्ड काटकर भी दिये जा सकते है।
7. यह कि प्रस्तावित भूमि में शमशान घाट बनने से व शवों को जलाने आदि से ना केवल वायु प्रदूषण होगा जिससे अपीलांट व आस पास में जो गरीब हरीजन परिवार रहते है उनके परिवारों के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा, बीमारी आदि फैलने का अनदेशा बना रहेगा।

लिहाजा अपील पेश करके अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि कि अपीलांट का रकबा प्रस्तावित शमशान घाट की भूमि के साथ चिपता हुआ 16 जी छोटी के मुरब्बा नम्बर 5 का रकबा स्थित है, इस प्रकार अपीलांट हर प्रकार से इस मामला में प्रभावित पक्षकार है। इंतकाल करने से पूर्व ना तो अपीलांट को कोई नोटिस दिया गया ना ही बुलाया व सुना गया, इस प्रकार न्याय के प्राकृतिक सिद्वांतो की पालना नहीं हुई जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल ने अपने विभिन्न न्याय निर्णयों में यही सिद्वांत प्रतिपादित किये है कि बिना प्रभावित को बुलाये सुने पारित किया गया आदेश प्रथम दृष्टया निरस्तनीय होगा। शमशान घाट के लिए पहले से ही 4 बीघा भूमि में शमशान घाट बना हुआ है तथा सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रस्तावित भूमि पर शमशान घाट नहीं बनाने का ऐतराज किया गया था क्योंकि गांववासी भी प्रस्तावित स्थान पर शमशान घाट बनाने के लिए कतई सहमत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल करने से पूर्व ना तो कोई विधिक प्रकिया अपनायी अर्थात कोई आपत्ति सूचना जारी की गई ना ही आपत्ति के सम्बन्ध में कोई ढोल मुनियादी द्वारा प्रचार किया गया ना ही किसी दैनिक समाचार पत्र में कभी कोई आपत्ति सूचना प्रकाशित हुई तथा ना ही इंतकाल नियमों की पालना की गई ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई जबकि ऐसा कानूनन आवश्यक था। प्रस्तावित भूमि में शमशान घाट बनने से व शवों को जलाने आदि से ना केवल वायु प्रदूषण होगा जिससे अपीलांट व आस पास में जो गरीब हरीजन परिवार रहते है उनके परिवारों के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा, बीमारी आदि फैलने का अनदेशा बना रहेगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील कृषि भूमि वाके चक 29 जीजी , पटवार हल्का जोधेवाला के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 20/1 की 0.127 हैक्टर नहरी भूमि का इन्तकाल संख्या 5 दिनांक 14.05.2022 जो ग्राम पंचायत जोधेवाला , प्रयोजन शमशान भूमि, के नाम से सम्माननीय जिला कलैक्टर महोदय के आदेश दिनांक 06.05.2022 के आधार पर नायब– तहसीलदार चूनावढ के द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्व पेश की गई है। प्रार्थी ग्राम पंचायत जोधेवाला के गांव सागरवाला का स्थायी निवासी है व काश्तकारी पेशा है। प्रार्थी के गावं में शमशान घाट न होने के कारण ग्राम पंचायत जोधेवाला के काश्तकार जगदीश पुत्र श्री मोहन लाल द्वारा गांव की समस्या को देखते हुए अपनी खातेदारी भूमि राजहित में ग्राम पंचायत जोधेवाला को शमशान घाट हेतु जरिये उपहार–पत्र दिनांक 15.07.2019 को दी गई। उक्त भूमि दान होने के पश्चात् ग्राम पंचायत जोधेवाला द्वारा राजकोष से उक्त स्थान पर चारदीवारी का निर्माण किया गया व मुख्य दरवाजा भी स्थापित किया जा चुका है। उक्त शमशान घाट की स्वीकृति श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश की पालना में नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा इन्तकाल स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस निम्न नजीरे पेश की है:–

1- 2022(1) DNJ [Rev.] पेज– 214 से 218

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया तो पाया कि नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा स्वीकृत इंतकाल 05 दिनांक 12.05.2022 जो स्वीकृत किया गया है वह अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (प्रशासन), प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकःएफ 12(3)( )राजस्व/2020/2107 दिनांक 06.05.2022 की पालना में स्वीकृत किया गया है। जो विधिसम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार चूनावढ द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (प्रशासन), प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलैक्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकःएफ 12(3)( )राजस्व/2020/2107 दिनांक 06.05.2022 की पालना में भरे गये इंतकाल नम्बर 5 दिनांक 12.05.2022 में कोई दखल किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकता है। आदेश की प्रमाणित प्रति नायब तहसीलदार चूनाव को पालनार्थ भिजवाई जावें एंव रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रीना)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर